

85

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०) समक्ष  
सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)

275  
27.5.14

A-1772-III-14



RS 201

बी.राजेश्वर पाटील  
द्वारा आज दिनांक 27.5.14 के  
प्रस्तुत किया गया।  
...एड  
रीडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

10-6-14

सुनील कुमार पाण्डेय तनय श्री दिनेश प्रसाद पाण्डेय उम्र 39 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 15/1415 रतहरा रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म०प्र०) -----अपीलार्थी

बनाम

1.रामकली कोल पत्नी मोहनी कोल, उम्र-55 वर्ष, निवासी ग्राम शिवराजपुर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म०प्र०)

2.शासन म०प्र० द्वारा कलेक्टर रीवा

दिनांक 19.3.9  
कोर्ट कोस्ट ट्राय आज  
दिनांक 10.6.14 को प्राप्त  
बेसिक अन्तर्गत कोर्ट  
राजस्व मण्डल ग्वालियर

---प्रत्यर्थीगण

अपील विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा  
प्रकरण क्रमांक 294/अपील/13-14 मे  
पारित आदेश दिनांक 03.04.2014  
अपील अन्तर्गत धारा44(2)म.प्र.  
भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

यह कि आराजी नम्बर 275/1रकवा 0.048 हे० स्थित ग्राम रतहरा जनरल नम्बर 540, पटवारी हल्का समान पुराना 19 नया 32 राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा के पूर्व भूमिस्वामी रामरती कोल पत्नी स्व० रामसिया कोल के स्वत्व अधिपत्य की

✓

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-A1772-III/14

जिला-रीवा

सुनील कुमार पाण्डेय / रामकली कोल

(1)	(2)	(3)
19.07.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. अनावेदक क्र०01 की ओर से श्री रमाशंकर सिंह एड० उपस्थित।</li><li>4. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>5. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;">सहस्य</p>	